

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या
दिसम्बर 09.12.2020 / 10.12.2020
द्वारा
प्रभारी अधिकारी श्री रनवीर सिंह
केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूँछताँछ अनुभाग
जनपद न्यायालय, गोण्डा।

१५

अंक,

रत्नवीर सिंह
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग,
जजी- गोण्डा।

स्था नं.

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों का प्रस्तुतवार अनुपालन।


क्र.सं.

पेज सं०

प्रस्तुत संख्या

क्र.सं.	पेज सं०	प्रस्तुत संख्या	
1	01	02	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
2	01	04(1)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
3	02	02	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
4	02	07(विन्दु सं०-4)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
5	03	03(विन्दु सं०-7)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
6	03	04(विन्दु सं०-8)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि त्रैमासिक निरीक्षण में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक एवं भौतिक रूप से किया गया एवं किया जा रहा है।


(रत्नवीर सिंह)
14.12.2020

प्रभारी अधिकारी/केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ

अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा।

Seen.

Sd _____
Bish Judge
Gonda
15-12-2020

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या सावत् पदूर्ध्व त्रैमास मास दिसम्बर 2020 कार्यालय केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा।

ड्राफ्ट सावकीर सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / एफओसीओ कक्षा सं-2, गोण्डा।

निरीक्षण आख्या

प्रारम्भ निरीक्षण आख्या की तिथि 09.12.2020/10.12.2020

1- कौ दिनांक 09.12.2020, 10.12.2020 को निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा का त्रैमासिक निरीक्षण किये, जिसकी आख्या निम्नवत् है-

इस निरीक्षण के पूर्व इस अनुभाग का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 28.09.2020, 29.09.2020 को किया गया था, उक्त निरीक्षण आख्या में दृष्टिगत समस्त निर्देशों का अनुपालन करने के उपरान्त निरीक्षण आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 01.10.2020 को समय से प्रेषित की जा चुकी है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में भी इसीप्रकार त्रैमासिक निरीक्षण आख्यायें समय से प्रशासनिक कार्यालय में द्राफ्ट कराया जाना सुनिश्चित करें।

मामलों का निरीक्षण करके प्रेषित किया जाय (09.12.2020)

2- यह अनुभाग जनपद न्यायालय गोण्डा के प्राणण में स्थित दस न्यायालय भवन के मूल पर स्थित है इस अनुभाग के अलावा उस कक्षा के आधे भाग में दीवानी प्रतिलिपि विभाग का कार्यालय स्थित है। निरीक्षण के समय कोई अधिवक्ता या उनसे सम्बन्धित अन्य कोई व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया।

3- इस अनुभाग में निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त हैं, जिसका नाम व प्रतिनियुक्त निम्नवत् है-

क्र०सं०	नाम व पदनाम कर्मचारी	प्रतिनियुक्त की तिथि
1	श्री अमर लाल (कार्यालय लिपिक)	25.03.2019

निरीक्षण के समय श्री अमरलाल अपनी सीट पर बैठकर कार्य करते हुए पाये गये।

4- मैंने निरीक्षण के समय सम्बन्धित लिपिक द्वारा अनुरक्षित पंजिकाओं का अवलोकन किया, जो निम्नवत् है -

1. पंजिका प्रपत्र सं. 26 अध्याय 9 नियम 240 सामान्य नियम व्यवहार

यह पंजिका सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित की गई है। पंजिका पर आमुख/शीर्षक नियमानुसार चरपा किया गया है। यह पंजिका दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ की गई है। आज दिनांक 09.12.2020 को 02 निरीक्षण प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। इस पंजिका के अवलोकन से पाया गया है कि त्रैमास दिसम्बर 2020 में कुल 28 निरीक्षण प्रार्थना पत्र निरीक्षण तिथि तक प्रस्तुत हुए। सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि पत्रावलियों का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता द्वारा पेन्सिल का प्रयोग किया जा रहा है एवं प्रत्येक कार्य दिवस में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रार्थना पत्रों को पंजिका में दर्ज करके सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय एवं अभिलेखागार में उसी दिन प्राप्त करा दिया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय एवं अभिलेखागार द्वारा कुछ प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में उसी दिन वॉछित अभिलेख निरीक्षण अनुभाग में प्रस्तुत किये जाते हैं। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामलों में सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालयों/अभिलेखागार को वॉछित अभिलेख निरीक्षण हेतु उसी दिन प्राप्त नहीं कराये जाते हैं, उन मामलों से सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय/अभिलेखागार को स्मृतिपत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें। अभिलेखों का निरीक्षण प्रत्येक कार्य दिवस में 3 से 4 बजे के बीच माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा के निर्देशानुसार कराया जाता है।

मामलों का निरीक्षण करके प्रेषित किया जाय (09.12.2020)

निरीक्षण पत्रिका को अवलोकन से प्राप्त हुआ है कि अभिलेखागार/न्यायालयों एवं कार्यालयों में विभिन्न चरणों की संख्या की पुष्टि के प्रयुक्त निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या में कमी आई है, जिससे यह स्पष्ट है कि कोर्टों में न्यायाधीशों के कारण पूरा कुछ न्यायालयों/कार्यालयों/अभिलेखागारों में नोंदित निरीक्षण की संख्या का स्तर है। यह सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालयों, कार्यालयों और नोंदित कर उनके पीठारीय अधिकारीगण को तस्सुलित से अवगत करना तथा सुनिश्चित करे, ताकि निरीक्षण प्रार्थनापत्रों की प्रस्तुतिकरण में व राजस्व आय में वृद्धि हो सके।

निरीक्षण पत्रिका को सभी स्तम्भ पूर्ण रूप से भरने हैं। अतः इस सम्बन्ध में किसी लिपिकी को अवगतकृत नहीं है।

2. पूछताछ प्रार्थना पत्रों की पंजिका अध्याय 8 नियम 224 व 225 सामान्य नियम व्यवहार-

यह पंजिका सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित की गई है। यह पंजिका पर अनुसू/शीर्षक लगाया गया है। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि आज दिनांक 09.12.2020 को पूछताछ के कुल 09 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। निरीक्षण तिथि को इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि प्रार्थना पत्र सं 09 दिनांकित 09.12.2020, जी श्री नरीर अहमद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (पुण्डिक) गोण्डा से सम्बन्धित है, जो नरीर अहमद बनाम कृष्ण कुमार से सम्बन्धित है। आज प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

3. न्यायशुल्क पंजिका संख्या-103 (अध्याय 14 नियम 408 सामान्य नियम व्यवहार)

यह पंजिका दिनांक 01.08.2020 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2020 में निरीक्षण तिथि तक कुल 28 निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या दर्शायी गई है तथा कुल 1400/- रु न्यायशुल्क प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पूछताछ प्रार्थना पत्रों की संख्या 538 दर्शायी गई है तथा कुल 31,100/- रुपये न्यायशुल्क प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस त्रैमास में निरीक्षण एवं पूछताछ प्रार्थनापत्रों के माध्यम से न्यायशुल्क के रूप में कुल मु 32,500/- रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।

सरकारी शासनदेश सामान्य नियम व्यवहार 1957 में संशोधन (सरकार के नॉटीफिकेशन नं 0256/vii न्याय-2-2018-93G-2018) दिनांकित 14.08.2018 के अनुक्रम में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा के आदेश दिनांक 01.09.2020 के अनुपालन में दिनांक 02.09.2020 से संशोधित न्यायशुल्क लिया जा रहा है।

4. दाखिला पंजिका

यह पंजिका प्रारम्भ सितम्बर 2008 से इस अनुभाग में निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों की संयुक्त गार्ड फाइल के दाखिला से सम्बन्धित है। इसके अवलोकन से यह पाया गया कि माह नवम्बर 2020 तक निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों को अभिलेखागार में दाखिल किया जा चुका है, फिर भी सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों को नियत तिथि के अन्दर अभिलेखागार में दाखिल कर दिया करें।

5. त्रैमासिक निरीक्षण की सुरक्षा पंजिका

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 20.12.2014 से प्रारम्भ की गई है। इस सुरक्षा पंजिका अनुसू/शीर्षक चरपा किया गया है। इस पंजिका में इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा

77 माननी,
लिपिकी का,
पत्र संख्या 103
दिनांक 09
दाखिल
2-11-20

सम्बन्धित वैधानिक विनियम आख्याओं को कमतर महत्ता एवं सूचीबद्ध किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि वैधानिक निरीक्षण आख्या बावत तैमास सितम्बर 2020 की है। सुरक्षा पंजिका का रख रखान उचित ढंग से किया जा रहा है।

6. स्थानीय आदेशों की सुरक्षा पंजिका

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 25.03.2019 से प्रारम्भ की गई है। इस सुरक्षा पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा सुरक्षा पंजिका में इस अनुभाग द्वारा विभिन्न न्यायालय/कार्यालय को भेजे गये प्रपत्रों की प्रतिलिपि एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय गौमडा के कार्यालय से प्राप्त आदेशों को सुरक्षित रखा जाता है। इस सुरक्षा पंजिका का रख रखान उचित ढंग से किया जा रहा है। अन्तिम आदेश क्र सं 68 दिनांकित 24.11.2020 की है, जो मासिक बैठक का कार्यपत्र की है। इस सुरक्षा पंजिका को प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

7. सुरक्षा पंजिका बाबत शासनादेश

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 01.08.2000 से जन्वृरक्षित है। इस सुरक्षा पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा सुरक्षा पंजिका में चरपा किये जाने हेतु किरिरी प्रकार का कोई प्रपत्र प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। पंजिका का रख रखान उचित ढंग से किया जा रहा है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 01.08.2020 की है, जो सामान्य सूची से सम्बन्धित है। इस सुरक्षा पंजिका को प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेशों की सुरक्षा पंजिका नियमित रूप से प्रत्येक माह में अपने प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

8. सुरक्षा पंजिका बाबत माननीय उच्च न्यायालय

यह सुरक्षा पंजिका माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रपत्रों को सुरक्षित रखने हेतु अनुरक्षित की गई है। यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 18.01.2000 से प्रारम्भिक की गई है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 10.06.2015 की है, जो विभागीय जांचों से सम्बन्धित है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अर्द्धशासकीय पत्र सं 0-1-621/2015 दिनांकित 06.06.2015 की है। इस सुरक्षा पंजिका में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रपत्रों को सूचीबद्ध करते हुए कम से चरपा किया गया है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस सुरक्षा पंजिका को प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ नियमित रूप से प्रत्येक माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

9. सुरक्षा पंजिका बावत वार्षिक निरीक्षण आख्या

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 01.12.2014 से अनुरक्षित है, जिस्पर लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 12.02.2020 की है, जो वार्षिक



प्रभावित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों/त्रुटियों का वास्तविक एवं
भौतिक रूप से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किया गया एवं भविष्य में अनुपालन किये जाने
हेतु नोट किया गया।

14-12-2020

(रनवीर सिंह)

प्रभारी अधिकारी/केंद्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ
अनुभाग, जनपद न्यायालय गोंडडा।